

प्रेषक,

ओम काश

सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तरांचल, देहरादून।

कृषि एवं कृषि विषयन अनुभाग-१

देहरादून दिनांक 25 मार्च 2006


विषय— कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत अनुदान सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान की सीमा में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो विभिन्न कृषि यंत्रों के मामले में निम्नवत होगा।


मशीन/यंत्र का नाम	अनुदान की सीमा
सेल्क प्रोपेल्ड रीपर, पेंडी ट्रान्सफ्लान्टर, तथा दूसरे इसी प्रकार की स्वचालित मशीनें	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 50,000
विशिष्ट शक्तिचालित मशीनें यथा जीरो टिल ट्रिल, रेज्ड बेड ब्लान्टर, सुगरकेन कटर ब्लान्टर, पोटेटो ब्लान्टर, पोटेटो, डिगर, ग्राउन्डनट डिगर, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रिप टिल ट्रिल, ट्रैक्टर ड्रान रीपर, क्लीनर कम ग्रेडर, ड्रायर, स्टबल सेवर, मोबाइल फूट हार्वेस्टर, पावर वीडर आदि।	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 30000/-
मानव चालित यंत्र/ओजार	50 प्रतिशत अधिकतम रु 2000/-
पशुचालित यंत्र	50 प्रतिशत अधिकतम रु 3000/-
पशुचालित टूल केरियर	50 प्रतिशत अधिकतम रु 5000/-
शक्तिचालित यंत्र	30 प्रतिशत अधिकतम रु 10000/-
पावर शेसर (सभी प्रकार के)	30 प्रतिशत अधिकतम रु 15000
डीजल/इलेक्ट्रिक मप	50 प्रतिशत अधिकतम रु 8000
स्प्रिकलर सेट	अनुजाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत अधिकतम रु 15000 तथा 33 प्रतिशत अधिकतम रु 10000 अन्य कृषकों को 2 हैक्टेयर के लिये
ट्रैक्टर	30 प्रतिशत अधिकतम 30000
पावर टिलर	50 प्रतिशत अधिकतम 30000 (हार्टिकल्पर मिशन के अंतर्गत अधिकतम रु 45000)
कृषि सक्षा यंत्र	
मानव चालित	50 प्रतिशत अधिकतम रु 800
शक्तिचालित	50 प्रतिशत अधिकतम रु 2000
ट्रैक्टर चालित	50 प्रतिशत अधिकतम रु 4000
एअरो ब्लास्ट स्प्रेयर	50 प्रतिशत अधिकतम रु 50000

2. उपर्युक्तानुसार अनुदान की सीमा में की गई वृद्धि के कारण मैक्रोमैनेजमेंट- कृषि योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली अनुदान की सीमा में 25 प्रतिशत से अधिक जो भी वृद्धि परिलक्षित हो उसका वहन राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अनुदान की सीमाओं में किया गया उपर्युक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं० 290/वित्त अनुभाग-४/2006 दिनांक 24 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या 427(1) / XIII / 2006 / 5(3)05 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर सचिव, गांप्ट (मान्त्रिपरिषद् अनुभाग)।
2. अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक गढवाल मंडल पौड़ी/कुमाऊँ मंडल हलद्वानी।
3. समरत मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरांचल।
4. वित्त अनुभाग-५/नियोजन अनुभाग
5. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
सचिव।